इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय
भोपाल

क्र.: 1–2/2018–स्था.
दिनांक : 17/9/2019

ज्ञापन

अधोहस्ताक्षरकर्ता को श्री Mr. Mohanlal Goyal पुत्र श्री Sajan lal Goyal ....निवासी Anuppur (M.P.) की इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में संग्रहालय सहायक (लेवल 5) (संशोधित 7th CPC)/ पी.बी.–1: 5200–20200 ग्रेड पे 2800 (पूर्व संशोधित) नियुक्ति प्रस्ताव भेजते हुए हर्ष होता है।

2. श्री मोहनलाल गोयल की नियुक्ति की शर्तें इस प्रकार हैं :–

(1) वे दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया भी जा सकता है। यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान उनका कार्य और आचरण ऐसा पाया जाता है कि वे पद के कार्य के लिए दक्ष नहीं बन सकते हैं, तो उन्हें तत्काल सेवा मुक्त कर दिया जाएगा या यदि किसी स्थाई पद पर उनका पुर्नग्रहणाधिकार (लियन) हो, तो उन्हें उस पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा। अपनी परिवीक्षा अवधि को संतोषजनक ढंग से पूरा करने पर, ये उस पद पर स्थाई नियुक्ति मानी जायेगी तब तक यह अस्थाई पद माना जायेगा।

(2) केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थाई सेवा) नियमावली, 1965 के अनुसार बिना कोई कारण बताए, किसी भी पक्ष की ओर से एक मास का नोटिस देने पर उनकी सेवा किसी भी समय समाप्त कर दी जावेगी। लेकिन नियुक्ति प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह नोटिस की अवधि या उसकी शेष अवधि के संबंध में उस अवधि के वेतन और भत्तों की धनराशि के बराबर की धनराशि की अदायगी करके, तत्काल या नोटिस की अनुबंधित अवधि की समाप्ति के पहले उनकी सेवा समाप्त कर सकता है।

(3) इस समय उन्हें भोपाल में तैनात किया जायेगा लेकिन उन्हें भारत के किसी भी भाग में सेवा करनी पड़ सकती है।

(4) सेवा की अन्य शर्तें, संगत नियमों और समय–समय पर लागू आदेश जोकि भारत सरकार अथवा राष्ट्रीय मानव संग्रहालय समिति द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, के द्वारा नियत्रिंत की जायेगी।

...2...

3. इस नियुक्ति पर निम्नलिखित शर्तें भी लागू होंगी :–

(1) सक्षम प्राधिकारी अर्थात् सिविल सर्जन या जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया स्वस्थता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना (फार्म संलग्न किया गया है) होगा।

(2) निर्धारित फार्म में भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/वफादारी की शपथ लेना।

(3) उन्हें संलग्न फार्मों में सेना के कमीशन्ड आफिसर या सिविलियन राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाणपत्र पेश करना होगा।

(4) उन्हें अपनी आयु, जाति, शैक्षणिक योग्यताओं और अनुभव के बारे में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे।

4. यदि उनके द्वारा की गई घोषणा या दी गई सूचना गलत साबित हो जायेगी या ऐसा पाया जाता है कि उन्होंने जानबूझकर कोई सामग्री/सूचना छिपाई है तो उसे नौकरी से हटा दिया जायेगा और उनके खिलाफ समिति द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली कार्यवाही की जायेगी।

5. यदि उम्मीदवार, दूसरे केन्द्रीय सरकारी विभाग/राज्य सरकार या सरकारी प्राधिकरण में नौकरी कर रहा हो या वह, वहाँ नौकरी करने के लिए आबद्ध हो तो, वह नियुक्ति, उस नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया, अनापत्ति प्रमाणपत्र/कार्यभार मुक्ति आदेश पेश करने पर ही की जाएगी।

6. इस कार्यालय में कार्य भार संभालने की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक उन्हें समतुल्य पद के लिए आवेदन पत्र नहीं भेजने दिया जाएगा।

7. कार्य भार संभालने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता संग्रहालय द्वारा नहीं दिया जाएगा।

यदि श्री Mohan lal Goyal उपर्युक्त शर्तों पर यह नियुक्ति स्वीकार करते हैं तो वे, उपर्युक्त पते पर मुझे तत्काल अपनी स्वीकृति भेजें और इस ज्ञापन को जारी किए जाने की तारीख से एक माह के अन्दर ड्यूटी पर उपस्थित हो जाएं। यदि कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह नियुक्ति प्रस्ताव रद्द समझा जावेगा।

(प्रो सरित कुमार चौधुरी)
निदेशक

प्रति,
श्री मोहन लाल गोयल,
अनूपपुर म. प्र. ईमेल पता: goyalmohanlal2013@gmail.com

संलग्न :– 1). अटैस्टेशन फार्म–3 2). स्वस्थता प्रमाणपत्र फार्म–1
3). घोषणा फार्म–1 4). चरित्र प्रमाणपत्र–2